प्रेस विज्ञप्ति

19.04.2024

दिनांक 30.03.2024 को माननीय विशेष न्यायालय,भ्रष्टाचार निरोधक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गाजियाबाद ने 24.03.2008 से 07.04.2008 की अवधि के दौरान श्याम बाबू (तत्कालीन डाक सहायक) को डाक विभाग के साथ 32.98 लाख की धोखाधड़ी का दोषी करार दिया था। उसने फर्जी तरीके से किसान विकास पत्र (केवीपी)/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) की परिपक्व राशि का लाभ उठाया और इस तरह काल्पनिक अस्तित्वहीन लोगों के नाम पर डाकघर और एचडीएफसी बैंक, अलीगढ़ में खोले गए विभिन्न खातों के माध्यम से अपराध की आय का गबन किया। उन्हें अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए और धन-शोधन के अपराध में सक्रिय रूप से संलिप्त पाया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने सीबीआई, एसपीई, देहरादून द्वारा आरोपी व्यक्ति श्याम बाबू के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, ईडी ने 9.32 लाख रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति जब्त की है,जिसकी पुष्टि बाद में न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 28/11/2019 के आदेश के द्वारा की गई।

धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 26.11.2020 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई।

बाद में, उक्त मामला विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक, सीबीआई, गाजियाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया, विशेष न्यायालय, सीबीआई, गाजियाबाद ने मामले का फैसला सुनाया जिसमें श्याम बाबू को पीएमएलए, 2002 के तहत धन-शोधन के अपराध का दोषी पाया गया। परिणामस्वरूप, माननीय न्यायालय ने मकान संख्या 1/2175, बी1, शिवलोक कॉलोनी, अलीगढ़ (खेत नंबर 1883 और 1884, मौजा कस्बा कोल अलीगढ़ में 167.2 वर्ग मीटर के भूखंड पर निर्मित) अचल संपत्ति के अधिहरण का आदेश जारी किया तथा श्याम बाबू को 3 साल की कैद और 1000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

*****